

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 मैनुअल संख्या- 7
मनोरंजन कर विभाग उत्तराखण्ड,

में

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है।

1. केबिल ऑपरेटरों तथा केबिल उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण हेतु उत्तराखण्ड शासन ने शासनादेश सं० 298/वि०अनु०-09/मनो०कर/30/2002 दिनांक 05.12.2002 के अंतर्गत एक समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रतिनिधि सम्मिलित हैं:-

- | | |
|--|--------|
| 1. केबिल ऑपरेटर तथा ऐसे कंट्रोलरूम से सम्बद्ध सभी फ्रेन्चाईसी ऑपरेटर | सदस्य |
| 2. क्षेत्र के उपभोक्ताओं के एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 3. सम्बन्धित क्षेत्र के थाना प्रभारी का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. संबंधित केबिल ऑपरेटर के अधिकार क्षेत्र वाला मनोरंजन कर निरीक्षक | संयोजक |